

मूल चाव में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट डबली कला)

1. कालूराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजेडडब्ल्यू डबली कला तहशील टिब्बी।
2. पालाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी चक 7 एमजेडडब्ल्यू डबली कला तहशील टिब्बी।

-वादीगण

बनाम

1. जैसाराम पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी डबली कला तहशील टिब्बी।
2. चिड़िया पत्नी जैसाराम जाति जाट निवासी डबली कला तहशील टिब्बी।
3. शारदा पुत्री जैसाराम पत्नी बंदीप्रसाद जाति जाट निवासी सतीपुरा तहशील व जिला हनुमानगढ़

-प्रतिवादीगण

राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आणक द्वार-2018


मुकदमा नम्बर:-161/2018

अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-13.6.2018

वादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू, उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं.11 डीपीएल के खाता संख्या 16 में दर्ज 2.463 है. में से वादीगण संख्या 1 व 2 को बहिब 1.577 है. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उक्त खाता में से प्रतिवादी जैसाराम का हिस्सा कम किया जाकर शेष हिस्सा 0.886 है. यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहशील हनुमानगढ़ के चक नं. 21 एजी के खाता संख्या 48 में कुल 3.374 है. में वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जैसाराम का उक्त खाता संख्या 48 में से नाम कलमजून किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार वादीगण के नाम से बहिब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 13.6.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत डबली कला में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़	1000/-	जोड़	0